समक्ष न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म.प्र.,ग्वालियर (130)

निगरानी-6353/2018/होशंगाबाद/भू.रा.

1. श्रीमती सुशीला बाई आयु करीब 70 साल पत्नि स्व. शांतिप्रसाद तिवारी
2. सुनील कुमार आयु करीब 47 साल आ. स्व. शांतिप्रसाद तिवारी
3. किशोर कुमार आयु करीब 45 साल आ. स्व. शांतिप्रसाद तिवारी
4. अशोक कुमार आयु करीब 43 साल आ. स्व. शांतिप्रसाद तिवारी
5. ऋषि प्रसाद तिवारी आयु करीब 37 साल आ. स्व. शांतिप्रसाद तिवारी
6. कल्पना आयु करीब 39 साल आ. स्व. शांतिप्रसाद तिवारी
7. ममता आयु करीब 41 साल आ. स्व. शांतिप्रसाद तिवारी
8. अलका आयु करीब 41 साल आ. स्व. शांतिप्रसाद तिवारी
9. चिन्ता आयु करीब 49 साल आ. स्व. शांतिप्रसाद तिवारी
10. नंदा आयु करीब 36 साल आ. स्व. शांतिप्रसाद तिवारी

सभी निवासी आदमगढ़ होशंगाबाद तह. व जिला होशंगाबाद .... आवेदकगण

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन .... उत्तरवादी

पुनरीक्षण याचिका धारा 50 म.प्र.भू–राजस्व संहिता के अंतर्गत

अधीक्षक
कलेक्टरेट, होशंगाबाद

आवेदकगण यह पुनरीक्षण याचिका श्रीमान आयुक्त महोदय नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 470/अपील/2017–18 श्रीमती सुशीला बाई बगैरा विरूद्व मध्यप्रदेश राज्य मे पारित आदेश दिनांक 19.07.2018 जो कि श्रीमान अपर कलेक्टर होशंगाबाद द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 19/अपील /2016–17 मे पारित आदेश दिनांक 30.12.2017 एवं अनुविभागीय अधिकारी महोदय होशंगाबाद द्वारा राजस्व प्र.क 276/बी121/2015–16 श्रीमती सुशीला बाई बगैरा विरूद्व म.प्र. राज्य में पारित आदेश दिनांक 30.09.2016 से उत्पन्न हुआ, के विरूद्व असंतुष्ट होकर नीचे लिखे आधार एवं कारण पर प्रस्तुत की जा रही है :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यह कि आवेदकगण के नाम पर ग्राम किशनपुर पटवारी हल्का नंबर 17 तह. जिला होशंगाबाद स्थित भूमि खसरा नंबर 104/1 रकबा 3.77 एकड़ जिसका नया खसरा नंबर 144/1 रकबा 3.75 एकड़ दर्ज है। इसी तरह ग्राम किशनपुर की भूमि ख.नं. 22 जिसका नया ख.नं. 69 है कुल रकबा 2.07 एकड़ है वह राजस्व अभिलेख में तालपानी मद में सरकार के नाम पर दर्ज है।

2. यह कि आवेदकगण की जमीन के पास पूर्व में नाला स्थित था लेंकिन समय के अंतराल से उक्त नाले ने अपना रास्ता बदल दिया है और वह आवेदकगण की भूमि ख.नं. 144/1 में बीच से बहने लगा है। नाला बनने के फलस्वरूप आवेदकगण की जमीन मे नाले के बहने के कारण जल कटाव हो गया है और मौके पर आवेदकगण एवं उनके दादा गौरीशंकर जी के हिस्से की 1.30 एकड़ भूमि कम हो गयी है।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 6353/2018/होशंगाबाद/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27-2-2019	आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । ग्राह्यता के बिन्दु पर प्रकरण का अवलोकन किया गया । आयुक्त के आदेश दिनांक 19-7-2018 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 203 में जल-प्लावन से खाते की भूमि के नुकसान का शासकीय भूमि से विनिमय का कोई प्रावधान नहीं है । यदि जल-प्लावन में एक एकड़ से अधिक भूमि की कमी होती है, तब भू-राजस्व कम किये जाने का अनुतोष आवेदक को दिया जा सकता है, जबकि आवेदक की 0.67 एकड़ भूमि जल-प्लावन में कम हुई है । अत: आवेदक द्वारा चाहा गया अनुतोष नहीं दिया जा सकता है । उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में आयुक्त द्वारा आवेदक की अपील अग्राह्य करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	